



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228747
CG-DL-E-04082021-228747

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2911]
No. 2911]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग- V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.आ. 3137(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और अस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से आर्थिक अपराध-सह-VIII अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-XXII अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, नगर दीवानी न्यायालय, हैदराबाद के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क की उपधारा(1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और अस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ तेलंगाना राज्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[अधिसूचना सं. 89/2021/फा. सं. 285/19/2021-आइटी (अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सीबीडीटी

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****(Investigation Division-V)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2021

S.O. 3137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, hereby designates the Court of the Special Judge for Economic Offences-cum-VIII Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XXII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for the State of Telangana for the purposes of sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.

[Notification No. 89/2021/F. No. 285/19/2021-IT(Inv.V) CBDT]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.), CBDT